FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा

पप्पू पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी रानीपुरा बनाम सरकार

किस्म मुकदमा ... नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16-7-15	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी के वकील उपस्थित। कारण पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पेशकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। पेशकार सरकार के मलाहजा लिया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-73 ग्राम रानीपुरा खाता सं. 69 में पप्पू पुत्र रामनिवास दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी ग्राम रानीपुरा सम्वत 2070-73 खाता संख्या 68 व 30 में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रामनिवास दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम जयनगर सम्वत 2069-72 खाता संख्या 35 में प्रार्थी का नाम पुखराज पुत्र रामनिवास हि 1/10 दर्ज है, प्रार्थी के द्वारा फोटो पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, आधार कार्ड, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक आफ बड़ौदा खाता पास बुक की छाया प्रतिया पेश की है,

उप खण्ड अधिकारी

उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जिसमें प्रार्थी का नाम पप्पूलाल पुत्र रामनिवास दर्ज है।

पेशकार सरकार मार्फत तहसीलदार उनियारा ने भी अपने जवाब में माना है कि ग्राम रानीपुरा की जमाबन्दी मुताबिक प्रार्थी का नाम प्रहलाद पुत्र रामनिवास के स्थान पर पप्पू पुत्र रामनिवास शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी प्रार्थी का नाम प्रहलाद न होकर पप्पू लाल ही है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नामों में भिन्नता चली आ रही है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम जयनगर पटवार हल्का गोठड़ा I खाता संख्या 35 में दर्ज प्रहलाद पुत्र रामनिवास हि. 1/10 के स्थान पर पप्पू पुत्र रामनिवास हि. 1/10 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

उप [illegible]कारी
उनियार[illegible] टोंक

Scanned by CamScanner